बिहार सरकार (के0प्रा0यो0 (100%))

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

सं0–4 / नि0–सी0एस0एस0–61–23 / 2007– 93

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 15.02.17

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत सभी जिलों के अनुसूचित जाति के छात्र / छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹4081.00 लाख (चालीस करोड़ एकासी लाख रुपए) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार ने पत्रांक–87 दिनांक–13.02.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत सभी जिलों अनुसूचित जाति के छात्र / छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹4081.00 लाख (चालीस करोड़ एकासी लाख रुपए) मात्र का स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार संलग्न विवरणी–1 के अनुसार सम्पूर्ण स्वीकृत राशि ₹4081.00 लाख (चालीस करोड़ एकासी लाख रुपए) मात्र आवंटित की जाती है ।

2– कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना बजट मद में मांग संख्या–44 के मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–0218–अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम–विषय शीर्ष–3401–छात्रवृति / वजीफा–विपत्र कोड–**P2225012770218** पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड–9185 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3– इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय संकल्प स0–4061 दिनांक–16.05.16 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर विगत वर्षो में राज्य के अन्दर एवं बाहर सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति के छात्र / छात्राओं के लिए नवीकृत छात्रवृति (Renewal Stipend) पर व्यय किया जाएगा। परन्तु अलग–अलग वर्ष के लिए व्यय का लेखा अलग–अलग संधारित किया जायेगा।

4– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–14011 / 25 / 2015–SCD–V दिनांक–16–05–16 एवं पत्रांक–14011 / 25 / 2015–SCD–V दिनांक–12–07–16 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में विमुक्त राशि से यह राशि आवंटित की जा रही है ।

5– इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी होगे। साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए त्रुटिरहित छात्रवृति वितरण सुनिश्चित करेंगे।

7– राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जिला स्तरीय छात्रवृति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित संस्थान के बैंक खाते में अनिवार्य शुल्क की राशि एवं संबंधित छात्र / छात्रा के बैंक खाता में अनुरक्षण भत्ता की राशि का अन्तरण RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

8– इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक–17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक–4 / नि0–सी0एस0एस0–61–23 / 2007– 98 पटना, दिनांक– 15.02.12

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार / वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4– संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रभारी पदा0, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / उपनिदेशक (मु0), अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / लेखा शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / संबंधित प्रशाखा पदा0–5डी0, अनु0जाति एवं अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।
15/2/12

विवरणी–1

वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत
अनु0 जाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के लिए
आवंटित राशि की विवरणी ।

कमांक	जिला का नाम	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए कुल आवंटित राशि विषय शीर्ष – 3401 विपत्र कोड–पी02225012770218
1	2	3
1	पटना	374.00
2	नालंदा	175.00
3	रोहतास	175.00
4	भभुआ	175.00
5	भोजपुर	150.00
6	बक्सर	150.00
7	गया	300.00
8	जहानाबाद	125.00
9	अरवल	50.00
10	नवादा	100.00
11	औरंगाबाद	150.00
12	सारण	200.00
13	सिवान	100.00
14	गोपालगंज	75.00
15	मुजफ्फरपुर	200.00
16	सीतामढी	100.00
17	शिवहर	10.00
18	प0 चम्पारण	75.00
19	पू0 चम्पारण	75.00
20	वैशाली	100.00
21	दरभंगा	150.00
22	मधुवनी	150.00
23	समस्तीपुर	150.00
24	सहरसा	50.00
25	सुपौल	25.00
26	मधेपुरा	25.00
27	पूर्णियां	75.00
28	अररिया	25.00
29	किशनगंज	2.00
30	कटिहार	50.00
31	भागलपुर	75.00
32	बॉका	70.00
33	मुगेंर	100.00
34	लखीसराय	50.00
35	शेखपुरा	25.00
36	जमुई	100.00
37	खगड़िया	25.00
38	बेगुसराय	75.00
	कुल योग	***4081.00***

(चालीस करोड़ एकासी लाख रू0 मात्र)

पत्रांक– 98 दिनांक– 15.02.17 का अनुलग्नक ।

allotment-plan-stipend- 16-17

निदेशक
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग